

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 253]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 जून 2014—आषाढ़ 7, शक 1936

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जून 2014

सूचना

क्र. 2928-वियो-410-नग्रानि-2014.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि सीहोर निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 28 जून 2014 को प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति कार्यालयीन समय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं:—

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल, म. प्र.
2. जिला कलेक्टर, सीहोर, म. प्र.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, सीहोर, म. प्र.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल, म. प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में प्रदर्शनी स्थल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल में इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

गुलशन बामरा, आयुक्त-सह-संचालक.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2014

क्र. एफ. 3-60-2014-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-2928-वियो-410-नगानि-2014, दिनांक 23 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd June 2014

NOTICE

No. 2928-MPS-410-2014.—Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Sehore Planning Area as published on dated 28th June 2014 in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), a copy thereof is available During office hours for inspection at,

1. Commissioner, Bhopal Division, Bhopal
2. Collector, District-Sehore
3. Chief Municipal Officer, Sehore
4. Joint Director, Town & Country Planning, Distt. Office Bhopal.

If there be any objection or suggestion with respect to the said draft plan, the same may be submitted in writing to the venue place or Joint Director, Town & Country Planning, Bhopal before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette." for due consideration.

GULSHAN BAMRA, Commissioner-cum-Director.